



# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/600/2023

दिनांक:- 09 फरवरी, 2023

सेवा में,

समयबद्ध

प्रबंधक/सचिव,  
कृष्णा महाविद्यालय,  
सुजानपुर, खैर, अलीगढ़।

विषय:-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सृजित एन0आई0सी0 (NIC) पोर्टल पर स्नातकोत्तर स्तर पर एम0ए0 राजनीति विज्ञान, हिन्दी एवं एम0एससी0 रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि आपके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड/परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधान का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या आर0एम0पी0यू0/1580/2022 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 एवं अनुस्मारक आर0एम0पी0यू0/286/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 एवं समय-समय पर दिये गये अन्य निर्देशों के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु आपके द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया। मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार आपको अंतिम अवसर देते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 14 फरवरी, 2023 सायं 05:00 बजे तक वांछित अर्थदण्ड/परीक्षा शुल्क आनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम में अनापत्ति (निर्बाधन) पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

  
(महेश कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
3. गार्ड फाईल।

  
सहायक कुलसचिव